

<><><><><><><>

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के इरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि एक सौ दिन से बढ़ाकर एक सौ पच्चीस दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि रोजगार मिलने के पन्द्रह दिन में लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को लोक निवास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने अंडमान निकोबार प्रशासन के नियमित कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मांगों को उनके समक्ष रखा। मुख्य मांगों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश को कठिन क्षेत्र घोषित कर सभी कर्मचारियों को कठिन क्षेत्र भत्ता एवं विशेष प्रतिपूरक भत्ता प्रदान करना, समूह 'बी' पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष करना, राजभाषा से संबंधित पदों का सृजन, डीम्ड समाप्त पदों के लिए समग्र स्वीकृति, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग एवं एसी संवर्ग के कर्मचारियों से जुड़े विषय तथा विशेष रूप से तकनीकी विभागों में पात्र अधिकारियों को विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नति देना शामिल था। डी आर एम के समायोजन से संबंधित एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद उनके समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष जयदीप कुमार डे, महासचिव एस. बीजू पिल्लै तथा वित्त सचिव ए. विजय नायर ने किया।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिले के सभी व्यापारियों, बार मालिकों, ऑटो रिक्शा मालिकों तथा संबंधित सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय की टीम की ओर से शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधि मापन अधिकारी 9 से 20 जनवरी तक क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में उपयोग किए जा रहे सभी वजन एवं मापन उपकरणों का सत्यापन किया जाएगा। यह शिविर डिगलीपुर में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित होगा। मायाबंदर में 14, बिलिग्राउंड में 15, रंगत में 16 से 18 जनवरी, कदमताला में 19 और बाराटांग में 20 जनवरी को शिविर लगाए जाएंगे। निर्धारित तिथियों के बाद यदि कोई व्यक्ति अप्रमाणित या दोषपूर्ण वजन और मापन उपकरणों का उपयोग करता है तो संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले के फ्लैग प्वाइंट में परमवीर सागर यात्रा – 2026 का ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कल किया जाएगा। इसके मद्देनज़र यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। फ्लैग प्वाइंट पर आयोजित होने वाले समारोह के कारण कल सुबह छह बजे से सुबह साढ़े दस बजे तक इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी वाहनों को सर्किट हाउस मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें तथा निर्धारित यातायात नियमों का पालन करें।

<><><><><><><>